

परिशिष्ट 'अ'

संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिये जाने संबंधि प्रकरणों की सूची

क्र.	संस्थान का नाम	उल्लेखन धारा एवं विवरण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अद्यतन स्थिति
1	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमि. (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम नागदा	धारा 12 (1) 2 (4) नि. 25 एवं धारा 29 नियम 76, 77 द्वारा नियोजित श्रमिकों को टेकेदार द्वारा प्रमुख 53, नियोजक द्वारा नियोजित श्रमिकों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं देना तथा श्रमिकों को नियोजन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिए	अश्वय गुप्ता पिता एच.के. गुप्ता 53, गवर्मेन्ट कालोनी नागदा	न्यायालय में विचारधीन है।
2	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमि. (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम नागदा	धारा 12 (1) 2 (4) नि. 25 एवं धारा 29 नियम 76, 77 द्वारा नियोजित श्रमिकों को टेकेदार द्वारा प्रमुख 53, नियोजक द्वारा नियोजित श्रमिकों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं देना तथा श्रमिकों को नियोजन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिए	अमरजीतसिंह पिता हरमलानसिंह वर्धमान नगर मेहतवास नागदा	न्यायालय में विचारधीन है।
3	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमि. (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम नागदा	धारा 12 (1) 2 (4) नि. 25 एवं धारा 29 नियम 76, 77 द्वारा नियोजित श्रमिकों को टेकेदार द्वारा प्रमुख 53, नियोजक द्वारा नियोजित श्रमिकों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं देना तथा श्रमिकों को नियोजन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिए	रामजीलाल पिता खमानाराम वर्मा 180, गवर्मेन्ट कालोनी नागदा	न्यायालय में विचारधीन है।
4	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमि. (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम नागदा	धारा 12 (1) 2 (4) नि. 25 एवं धारा 29 नियम 76, 77 द्वारा नियोजित श्रमिकों को टेकेदार द्वारा प्रमुख 53, नियोजक द्वारा नियोजित श्रमिकों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं देना तथा श्रमिकों को नियोजन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिए	हेमंत केरवार पिता धनीराम केरवार इन्दू कालोनी नागदा	न्यायालय में विचारधीन है।
5	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमि. (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम नागदा	धारा 12 (1) 2 (4) नि. 25 एवं धारा 29 नियम 76, 77 द्वारा नियोजित श्रमिकों को टेकेदार द्वारा प्रमुख 53, नियोजक द्वारा नियोजित श्रमिकों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं देना तथा श्रमिकों को नियोजन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिए	श्री शलेन्द्र पिता मानसिंह शर्मा 592, इंगोरिया रोड नागदा	प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण क्रमांक प्राप्त होना शेष है।

अनुभाग अधिकारी  
राध्याप्रवेश शाशन,  
श्रम विभाग (एफ.ए)  
मंत्रालय, भोपाल

6	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमि. (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम नागदा	धारा 12 (1) 2 (4) नि. 25 एवं धारा 29 नियम 76, 77 द्वारा नियोजित श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा प्रमुख नियोजक द्वारा नियोजित श्रमिकों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं देना तथा श्रमिकों को नियोजन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिए	श्री अजय शर्मा पिता अम्बालाल ए-32 बिरलाग्राम नागदा	प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण क्रमांक प्राप्त होना शेष है।
7	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमि. (एस.एफ.डी.) बिरलाग्राम नागदा	धारा 12 (1) 2 (4) नि. 25 एवं धारा 29 नियम 76, 77 द्वारा नियोजित श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा प्रमुख नियोजक द्वारा नियोजित श्रमिकों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं देना तथा श्रमिकों को नियोजन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिए	श्री बीरबलसिंह पिता नारयणसिंह दुर्गापुर बिरलाग्राम नागदा	प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण क्रमांक प्राप्त होना शेष है।

  
 4/3/17  
 सहायक श्रमायुक्त  
 उज्जैन संभाग, उज्जैन

  
 अबुभागा अशिकाटी  
 मध्यप्रदेश- राय. रं.  
 श्रम विभाग ( ए. ए. ए )  
 संग्रहालय, भोपाल